HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15698/2026
CNR: RJHC020965192026 | URN: CRLMB / 29024U / 2026

Harchand S/o Shri Chhogaram, Aged About 33 Years, R/o Himaniyon Ki Dhani, Harmu Police Station Sayla, District Jalore (Raj.) (At Present Lodged In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anutosh Mishra with Mr. Ashish Sharma for Mr. Ashvin Garg
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Sunil Kumar Swami

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सेन्ट्रल साईबर पुलिस स्टेशन, **राजस्थान साईबर क्राईम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **11/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पर प्रतिरूपण द्वारा छल करने का आक्षेप है, परंतु उसके द्वारा किस प्रकार का प्रतिरूपण कर छल किया, यह स्पष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि जुलाई 2025 की घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग दो माह विलम्ब से दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा कुछ राशि परिवादी को वापस लौटाई है। उनका तर्क है कि अब परिवादी और प्रार्थी के मध्य समझौता हो गया है, इसके साथ ही प्रार्थी

संपूर्ण राशि परिवादी को लौटा चुका है। प्रार्थी दिनांक 14.09.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजका तर्क है कि प्रार्थी ने पुलिसकर्मी बनकर परिवादी, जो कि स्वयं पुलिसकर्मी है, से लगभग 4,23,000/– रुपये की राशि विभिन्न अवसरों पर विभिन्न तरीके, जैसे फोन पे के माध्यम से प्रार्थी के मोबाईल नंबर 7676762211 पर हस्तांतरित करवाई है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि परिवादी का प्रार्थी–अभियुक्त के साथ राजीनामा हो गया है और यदि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाता है, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 319(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 66डी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अपराधों का अपराध है। प्रार्थी द्वारा ठगी गई राशि परिवादी को वापस कर दिया जाना प्रकट किया है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रक किया है कि परिवादी का प्रार्थी से राजीनामा हो गया है तथा यदि प्रार्थी को जमानत पर मुक्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 14.09.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों–परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **हरचंद पुत्र छोगाराम** की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र **इस शर्त के साथ कि प्रार्थी–अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के**

अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी–अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह पश्चात् विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

38/Ajay Kumar Singhal